

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.258
ANSWERED ON 19.03.2021

**IMPACT OF PANDEMIC AND LOCKDOWN ON INDIRECTLY DEPENDENT
PERSONS ON RAILWAYS**

258. DR. SANTANU SEN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether Government has undertaken a study to estimate the job loss or work loss post lockdown in March, especially for those who were indirectly dependent on Railways for their livelihood or those who were employees of contractors and sub-contractors of Railways as Railways are one of the biggest source of employment, both direct and indirect,;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) if not, whether Government is planning to take up such study to assess the impact of the lockdown and pandemic on those indirectly employed with Railways, the details thereof; and
- (d) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMERCE & INDUSTRY AND
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF STARRED QUESTION NO.258 BY DR. SANTANU SEN ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 19.03.2021 REGARDING IMPACT OF PANDEMIC AND LOCKDOWN ON INDIRECTLY DEPENDENT PERSONS ON RAILWAYS

(a) & (b): Ministry of Railways has not undertaken any such study to estimate the job loss or work loss post lockdown in March 2020. However, to expeditiously re-start economic activities after lifting of lockdown so as to provide employment opportunities to the contract workers engaged by contractors, Railways took a number of measures as under:

(i) Under the Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan (GKRA) announced by Government on 20.06.2020 for 125 days, Railways generated 14,14,604 mandays employment in 140 projects during the above Abhiyaan in identified Districts across six States, namely, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand and Odisha.

(ii) Instructions were issued to release wages/payment to contractual staff directly engaged by Railways and outsourced staff engaged through contractors, who could not attend duty during lockdown period upto 31.05.2020.

(iii) Measures were also taken to increase the cash flow of contractors so as to expedite execution of works and corresponding increase in engagement of contract workers on work sites by them. Measures include release of Performance Guarantee in the on-going contracts proportionate to progress of work, release of Security Deposit available with Railways to contractors against Bank Guarantee, etc.

(c) & (d): Ministry of Railways has not planned to take up any such study since the contractual works have already been re-started and such study is not likely to provide any tangible benefits.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
19.03.2021 के

तारांकित प्रश्न सं. 258 का उत्तर

रेलवे पर परोक्ष रूप से अश्रित व्यक्तियों पर
वैश्विक महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव

***258 डा. सांतनु सेन:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मार्च में लॉकडाउन के पश्चात् से विशेष रूप से अपनी आजीविका के लिए रेलवे पर परोक्ष रूप से आश्रित लोगों अथवा रेलवे के ठेकेदारों अथवा उप-ठेकेदारों के पास नियोजित कर्मचारियों की नौकरियां अथवा काम छिन जाने के बारे में प्राक्कलन के लिए कोई अध्ययन शुरू किया है, क्योंकि रेलवे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के रोजगारों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे में परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त लोगों पर लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराने की सरकार की कोई योजना है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

रेलवे पर परोक्ष रूप से आश्रित व्यक्तियों पर वैश्विक महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को राज्य सभा में डॉ. सांतनु सेन द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.258 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) एवं (ख): रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन के बाद नौकरियां या काम छिन जाने का अनुमान लगाने के लिए मार्च 2020 में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया है। बहरहाल, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आर्थिक कार्यकलापों को शीघ्रता से शुरू करने के लिए रेलवे द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं, ताकि ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए ठेकागत कामगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकें, जो निम्नानुसार हैं:

- (i) सरकार द्वारा 20.06.2020 को घोषित 125 दिन के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रेलवे ने छह राज्यों अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के चिह्नित जिलों में उक्त अभियान के दौरान 140 परियोजनाओं में 14,14,604 श्रम दिन रोजगार सृजित किए।
- (ii) रेलवे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लगाए गए ठेकागत कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा आउटसोर्स के तहत लगाए गए उन कर्मचारियों को मजूरी देने/भुगतान करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे, जो कर्मचारी 31.05.2020 तक लॉकडाउन के दौरान इयूटी पर नहीं आ सके थे।
- (iii) ठेकेदारों के लिए नकद राशि बढ़ाने के उपाय भी किए गए थे ताकि कार्य निष्पादन शीघ्र किया जा सके और उनके द्वारा कार्यस्थलों पर लगाए गए ठेकागत कामगारों का काम बढ़ाया जा सके। इन उपायों में कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए चालू ठेकों में कार्य निष्पादन गारंटी रिलीज़ करना, बैंक गारंटी के तहत ठेकेदारों को रेलवे के पास उपलब्ध प्रतिभूति जमा रिलीज़ करना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ): रेल मंत्रालय ने इस प्रकार का अध्ययन कराने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है क्योंकि संविदागत निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं और इस प्रकार के अध्ययन से वास्तविक लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं है।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : माननीय उपसभापति महोदय, इस कोविड महामारी में हमारे जो रेल परिवार के कर्मचारी हैं, जो इस देश में असली जनसेवक हैं, उनमें से 700 लोगों ने अपनी जान गँवाई है। इन्होंने हमारे देश के प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुँचाने के लिए अपनी जान गँवाई है। इन्होंने जान गँवाई है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, जहाँ सबसे ज्यादा संक्रमित होने की संभावना है, वहाँ पर ये कोविड महामारी के शिकार बने। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे रेल मंत्रालय से इनके परिजनों को सहायता राशि दी गई है या नहीं दी गई है, क्योंकि इन्होंने इस महामारी के समय में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सबसे बड़ा बलिदान दिया है?

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ वैक्सीन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स में हमारे रेल कर्मचारियों को भी जरूर शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उनको वैक्सीन दी जाए, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो वह हमारा रेल कर्मचारी जाता है।

श्री पीयूष गोयल : सर, वास्तव में मैंने उस दिन भी जवाब में कहा था कि पूरा देश रेलवे के कर्मचारियों पर गर्व करता है, जिन्होंने कोविड महामारी के समय भी, कितना भी डर हो, कितनी भी चिंता हो, उसके बावजूद दिन-रात काम करके देश की सेवा की। यह सत्य है कि कोविड के समय में हमारे कई साथियों ने in the line of duty, काम करते हुए अपनी जान भी गँवाई। उसके लिए रेलवे का एक well-established process है, जिसके हिसाब से उनके परिवार को compensation और अन्य प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। उस पूरे process को follow किया जा रहा है। भारत सरकार ने 7th Pay Commission implement किया है, जिसके तहत उनके लिए compensation amount भी काफी बढ़ गया है, जो रेल कर्मचारी in the line of duty अपनी जान गँवाते हैं। यह अलग बात है कि कई राज्य सरकारों ने उसको implement नहीं किया है। सांतनु सेन जी शायद आज नहीं हैं, वे पश्चिमी बंगाल से आते हैं। पश्चिमी बंगाल तक ने आज तक वह 7th Pay Commission implement नहीं किया है, जिसके कारण जब वहाँ पर कोई हादसा होता है, तो लोगों को वे सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, जो रेलवे अपने ऐसे लोगों के परिजनों को देने जा रही है, जिन्होंने इस कार्य में अपनी जान गँवाई।

जहाँ तक वैक्सीन की बात है, इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी प्रमुख हॉस्पिटल्स में vaccination का काम जारी है। हमारे जो RPF के स्टाफ ड्यूटी पर हैं, उन सबको vaccinate किया जा रहा है, medical facilities में लगे जो स्टाफ हैं, उन सबको पूरी तरह से vaccinate किया जा रहा है। अब सरकार और विचार करके जैसे-जैसे इसको बढ़ावा देगी, अगर 60 वर्ष की उम्र या 45 plus co-morbidity को परिवर्तित करेगी, वैसे-वैसे रेलवे के बाकी कर्मचारी, जो day-to-day फ्रंटलाइन में नहीं हैं, उनको भी vaccinate करने का काम किया जाएगा।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि जो भी eligible होंगे, उनको compassionate appointment दिया जाएगा। जब रेलवे के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु in the line of duty होती है, तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को compassionate appointment दिया जाता है।

डा. फौजिया खान : उपसभापति महोदय, भारतवर्ष में कुल 19,500 कुली हैं। वे वर्षों से रेलवे में सेवा कर रहे हैं। Lockdown के समय तो ये भूखे ही मर गए थे। अब रेलवे स्टेशन्स पर digitization हो रहा है, automation हो रहा है, जैसे passenger wheel bags हैं, ramps हैं, escalators हैं, lift luggage trolleys हैं, इसलिए अब कुलियों का काम बहुत कम बचा है। जिस तरह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में कुलियों के उत्थान के लिए इनको मौका दिया था, तो क्या आज मंत्री महोदय इस कोरोना महामारी के बैकग्राउंड में यह मौका इन कुलियों को दे सकेंगे?

श्री पीयूष गोयल : महोदय, हमारे भाई-बहन, जो कुली का काम करते हैं, उनके लिए मेरी भी पूरी संवेदना है। वे बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वास्तव में रेलवे के साथ उनकी लाल ड्रेस और लेबल, एक प्रकार से वर्षों-वर्षों से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि भारत की कई सारी बॉलीवुड की फिल्म्स भी उनके साथ जुड़ी हैं, जिनमें बहुत प्रमुख कलाकारों ने काम किया है। जहाँ तक कुलियों को सर्विस देने की बात है, लालू प्रसाद यादव जी ने जरूर कुछ कुलियों को सर्विस में लेने का ऑफर दिया था, पर जब हमने उसका डेटा निकाला, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि वे अधिकांश लोग, जिन्होंने जॉब accept भी की, वे थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद वापस चले गए। जो रेलवे का rigorous काम रहता है, उनसे वह नहीं किया गया और उन्होंने उस समय भी रेलवे के rigorous काम में बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। सभी चाहते थे कि हमें एमटीएस बना दीजिए, जो multitask service करते हैं, यह एक प्रकार से ऑफिस के peons की तरह ही है, लेकिन रेलवेज में आज के दिन उनकी आवश्यकता नहीं है। In fact, वे हमारे पास बहुत surplus में हैं। अगर पार्लियामेंट में भी आवश्यकता है, तो हम यहाँ भेज सकते हैं।

महोदय, मैं समझता हूँ कि हम उनके विषयों को समय-समय पर संवेदना के साथ देखते रहते हैं कि हमें उनके लिए सुविधाएं कैसे सुधारनी हैं। उनके लिए रैस्टरूम्स, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था के लिए तो मैंने स्वयं भी चिंता की थी कि हम उन्हें कैसे कुछ सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन उन्हें out-of-turn job देना, यह भी एक प्रकार से उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वह without a process job हो जाएगी। उन्हें एलाउड है कि वे लेबल ट्रांसफर कर सकते हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा : उपसभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है, मैं यह सवाल पहले भी लिखित में पूछ चुका हूँ। कोरोना के दौरान railway employees के दो वर्ग, जो काँट्रेक्ट पर काम करते हैं, जहाँ privatization और outsourcing हुई है - pantry, खाने-पीने की सुविधाएं और sanitization. मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस पूरे दौर में आपने कोई आकलन किया है कि उन्होंने कितना suffer किया और अगर आकलन किया है, तो क्या उन्हें relief देने की कोई योजना है?

श्री पीयूष गोयल : उपसभापति महोदय, स्वाभाविक रूप से कोविड की महामारी के समय कई सारे ट्रेनें नहीं चल रही थीं और जब शुरू भी हुई हैं, तो साधारणतः हमारा फीडबैक यह है कि उनमें जो यात्री सवारी करते हैं, चाहे वह linen हो या खाने-पीने का सामान हो, साधारणतः वे उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। वे एक precaution के हिसाब से सोचते हैं कि linen पहले किसने इस्तेमाल किया होगा, किसी पीड़ित ने इस्तेमाल किया हो, फिर laundry के बावजूद भी उसमें से निकला या नहीं निकला, कुकिंग कहाँ पर हुई, किसने carry किया, तो स्वाभाविक रूप से, इन दोनों सर्विसेज़ में कुछ contractual workers रहे होंगे, जिनका अभी रेलवे में काम नहीं है। इस महामारी के दौरान और भी अलग-अलग प्रकार के workers affect हुए, पर जैसे ही लॉकडाउन के बाद कोविड का अनलॉक प्रोसेस शुरू हुआ, तब जिस गति से पहले काम चलता था, उन सब के लिए हमने उसे और तेज कर दिया।

कोविड के उस लॉकडाउन पीरियड में भी हमने contractors को कहा कि आप अपने subcontract workers को नौकरी से मत निकालिए और यही आदेश, यही रिक्वेस्ट सभी उद्योगों से माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं की थी और जहाँ-जहाँ यह प्रमाण दिया गया, जिन लोगों ने इस बात को पूरा किया, हमने उन्हें compensate भी किया। अब pace of work इतना बढ़ गया है कि जितने लोग पहले काम करते थे, अब रेलवे में उससे अधिक लोगों की आवश्यकता आ गई है और जैसे ही पहली अप्रैल से अगले साल का बजट शुरू होगा, तब और बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q.No. 259. The questioner is not present. Are there any supplementaries?